भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2634

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

राष्ट्रीय वयोश्री योजना और दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना

2634. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा "राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)" और दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के कवरेज और प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इलाहाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): जी, हां। राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) और दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के मूल्यांकन के लिए इनका अन्य पक्ष द्वारा प्रभाव मूल्यांकन किया गया है।

मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना पात्र वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इस योजना का लाभार्थियों के चलने-फिरने और दैनिक कार्यों की क्षमता पर परिवर्तनकारी प्रभाव हुआ है। उन्हें ऐसे सहायक उपकरण दिए गए हैं जिनकी सहायता से वे बिना किसी सहारे के चल-फिर सकते हैं। इससे विशेष रूप से लोगों को स्वावलंबी तरीके से रहने और दैनिक कार्यों व चलने-फिरने में दूसरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के मूल्यांकन अध्ययन से पता चलता है कि इस योजना ने शिक्षा, पुनर्वास, सहायक सहायता और आजीविका में शामिल करने के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं। इसके अंतर्गत शैक्षिक और चिकित्सीय सेवाओं पर जोर दिया जाता है, जिससे दैनिक कार्यों को निपटाने में मदद मिलती है; साथ ही, इसके अंतर्गत

नि:शुल्क सहायक उपकरण भी बांटे जाते हैं, जो उपयोग में बहुत आसान और लाभार्थियों के लिए संतोषजनक साबित हुए हैं। मूल्यांकन में आजीविका की बेहतर उपलब्धता, समुदाय और माता-पिता की प्रबल भागीदारी, और ई-अनुदान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता और समयबद्धता का भी उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर, निष्कर्षत: लाभार्थियों की अधिक संतुष्टि, बेहतर सामाजिक समावेश और जीवन की बेहतर गुणवत्ता को दर्शाया गया है।

(ग): उत्तर प्रदेश राज्य और इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान आरवीवाई और डीडीआरएस के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष	उत्तर प्रदेश (आरवीवाई)	उत्तर प्रदेश (डीडीआरएस)	इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (आरवीवाई)	इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (डीडीआरएस)
2023-24	21,901	3,017	-	197
2024-25	44,710	4,095	25,428	197
2025-26	56,198	2,872	1,094	268
